मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग,

76, अरेरा हिल्स, भोपाल.

(प्रस्तुत अपील जिला आयोग, उज्जैन द्वारा प्रकरण क्रमांक–129/2011 में पारित आदेश दिनांक 27/07/2015 से उद्भूत)

प्रथम अपील क्रमांक : 922/2015

गिरीश पिता रणछोड़ पटेल,
ग्राम उपड़ी, तहसील तराना, जिला उज्जैन ———— अपीलार्थी

विरूद्ध

1. नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड,
   क्षेत्रीय कार्यालय, दशहरा मैदान, फ्रीगंज, उज्जैन
2. उज्जैन जिला सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित,
   शाखा तराना, जिला उज्जैन
3. उमेश उपाध्याय एजेण्ट, नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड,
   पेट्रोल पम्प चौराहा, तराना, जिला उज्जैन ———— प्रतिअपीलार्थीगण

:: समक्ष ::

माननीय श्री ए.के.तिवारी : कार्यवाहक अध्यक्ष
माननीय डॉ. श्रीकान्त पाण्डेय : सदस्य

:: पक्षकारगण द्वारा ::

अपीलार्थी की ओर से श्री मोहम्मद अलाउद्दीन अधिवक्ता उपस्थित।
प्रतिअपीलार्थी क्रमांक–1 की ओर से श्री पंकज वाघमोड़े अधिवक्ता उपस्थित।
प्रतिअपीलार्थी क्रमांक–2 एवं क्रमांक–3 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

आदेश

(दिनांक 21/03/2024 को पारित)

माननीय सदस्य डॉ. श्रीकान्त पाण्डेय अनुसार :–

1– प्रश्नाधीन अपील उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 15 के अंतर्गत जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, उज्जैन (संक्षेप में **"जिला आयोग"**) के प्रकरण क्रमांक–129/2011 में पारित आदेश दिनांक 27/07/2015 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है।

2— प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी द्वारा दिनांक 08/04/2011 को जिला आयोग के समक्ष परिवाद प्रस्तुत कर बीमित भैसों का मूल्य 4,80,606/— रूपये, मानसिक त्रास हेतु क्षतिपूर्ति राशि 1,00,000/— रूपये एवं परिवाद व्यय का अनुतोष चाहा गया था।

3— जिला आयोग द्वारा दिनांक 27/07/2015 को सेवा में त्रुटि प्रमाणित नहीं पाये जाने से परिवाद निरस्त किया गया है।

4— प्रश्नाधीन अपील उक्त आदेश के विरूद्ध परिवादी द्वारा प्रस्तुत की गयी है।

5— अपीलार्थी/परिवादी के विद्वान अधिवक्ता के तर्क अनुसार उसके द्वारा प्रतिअपीलार्थी क्रमांक—2 बैंक से ऋण लेकर 20 भैंसें क्रय की गई थीं। उक्त सम्बन्ध में 10—10 भैंसों के लिए प्रतिअपीलार्थी क्रमांक—1 बीमा कम्पनी से दो बीमा पॉलिसियां प्राप्त की गई थीं। प्रथम पॉलिसी टेग क्रमांक—60101 से क्रमांक—60110 तक की भैंसों के लिए तथा दूसरी पॉलिसी टेग क्रमांक—65676 से क्रमांक—65685 तक की भैंसों के लिए जारी की गई थी। दिनांक 09/07/2006 को टेग क्रमांक—60103 भैंस की मृत्यु हो गई थी, जिसकी सूचना प्रतिअपीलार्थी क्रमांक—1 बीमा कम्पनी एवं प्रतिअपीलार्थी क्रमांक—3 बीमा एजेण्ट को दी गई थी, किन्तु मौके पर कोई नहीं आया और न ही मृतक भैंस का शव परीक्षण कराया गया। तत्पश्चात् उपस्थित ग्रामीणों द्वारा ही मृतक भैंस का पंचनामा बनाया गया था, जिसकी प्रति प्रतिअपीलार्थी क्रमांक—3 बीमा एजेण्ट को दी गई थी।

6— तर्क अनुसार टेग क्रमांक—65684 की भैंस की मृत्यु दिनांक 11/09/2007 को हो गई थी। इसकी सूचना प्रतिअपीलार्थी क्रमांक—1 बीमा कम्पनी को दिये जाने पर डॉक्टर द्वारा मृतक भैंस का शव परीक्षण किया गया था। उक्त शव परीक्षण रिपोर्ट, ईयर टेग एवं बीमा पॉलिसी प्रतिअपीलार्थी क्रमांक—3 द्वारा प्राप्त की गई थी। टेग क्रमांक—65685 की भैंस की मृत्यु भी दिनांक 12/08/2007 को हो गई थी। उसकी सूचना दिये जाने

पर भी न तो उसका पोस्टमार्टम करवाया गया और न ही पंचनामा बनाया गया। इन बीमित मृतक भैंसों से सम्बन्धित बीमा क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान प्रतिअपीलार्थी क्रमांक–1 बीमा कम्पनी द्वारा नहीं किया गया है। उक्त परिप्रेक्ष्य में जिला आयोग द्वारा पारित किया गया आदेश विधिसम्मत न होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

7– प्रतिअपीलार्थी क्रमांक–1/बीमा कम्पनी के विद्वान अधिवक्ता के तर्क अनुसार टेग क्रमांक–60107 से सम्बन्धित मृतक भैंस का बीमा दावा अपीलार्थी/परिवादी द्वारा वर्ष 2006–07 की पॉलिसी के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया था, जिसका भुगतान उसे किया गया था। इसी प्रकार टेग क्रमांक–65683 से सम्बन्धित मृतक भैंस का बीमा दावा भी उसे स्वीकृत किया गया था। उक्त दोनों मृतक भैंसों के सम्बन्ध में अपीलार्थी/परिवादी द्वारा बीमा पॉलिसी की शर्तों के अनुरूप कार्यवाही की गई थी इसलिए उनका नियमानुसार भुगतान भी किया गया था। इससे प्रमाणित होता है कि अपीलार्थी/परिवादी बीमा दावा प्राप्त करने के सम्बन्ध में पूरी प्रक्रिया से अच्छी तरह से परिचित था।

8– तर्क अनुसार प्रश्नाधीन प्रकरण में टेग क्रमांक–60103, क्रमांक–65684 एवं क्रमांक–65685 से सम्बन्धित भैंसों की मृत्यु के सम्बन्ध में अपीलार्थी/परिवादी द्वारा न तो प्रतिअपीलार्थी क्रमांक–1 बीमा कम्पनी को सूचित किया गया था और न ही उनसे सम्बन्धित टेग तथा शव–परीक्षण रिपोर्ट आदि आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किये गये थे। उक्त परिप्रेक्ष्य में जिला आयोग द्वारा पारित किया गया आदेश पूर्णतः विधिसम्मत् होने के कारण स्थिर रखे जाने योग्य है।

9– प्रतिअपीलार्थी क्रमांक–2 एवं क्रमांक–3 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। प्रतिअपीलार्थी क्रमांक–2 द्वारा जिला आयोग को अपने पत्र द्वारा अवगत कराया गया था कि उक्त भैंसों की मृत्यु की सूचना उसे नहीं दी गयी थी, अतः उसके द्वारा सेवा में कोई त्रुटि नहीं की गयी है।

10— अपीलार्थी/परिवादी एवं प्रतिअपीलार्थी क्रमांक—1/बीमा कम्पनी के तर्कों को सुना गया। अभिलेखों पर मनन किया गया।

11— प्रकरण में स्पष्ट है कि स्वयं अपीलार्थी/परिवादी द्वारा प्रश्नाधीन तीनों बीमित भैंसों का पोस्टमार्टम कराये जाने हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया। उसके द्वारा उक्त भैंसों की मृत्यु के सम्बन्ध में प्रतिअपीलार्थी क्रमांक—1 बीमा कम्पनी अथवा प्रतिअपीलार्थी क्रमांक—2 बैंक को कोई सूचना दी गई हो, ऐसा कोई साक्ष्य प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिला आयोग द्वारा अपने आदेश की कण्डिका—7 में यह उचित निष्कर्ष निकाला गया है कि बिना शव परीक्षण के केवल पंचनामे के आधार पर टेग क्रमांक—60103 की भैंस की मृत्यु होने का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।

12— यह भी स्पष्ट है कि टेग क्रमांक—65685 से सम्बन्धित भैंस की मृत्यु के सम्बन्ध में न तो कोई शव परीक्षण रिपोर्ट प्रकरण में प्रस्तुत की गई है और न ही कोई पंचनामा। अपीलार्थी/परिवादी द्वारा प्रतिअपीलार्थी क्रमांक—2 बैंक को भी इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं दी गई थी। जहां तक टेग क्रमांक—65684 की भैंस का सम्बन्ध है, उक्त भैंस का शव परीक्षण किया गया था, ऐसा अपीलार्थी/परिवादी के शपथ पत्र में उल्लिखित है, किन्तु उक्त शव परीक्षण रिपोर्ट, टेग नम्बर तथा बीमा पॉलिसी प्रतिअपीलार्थी क्रमांक—3 को दिये जाने के सम्बन्ध में उसके द्वारा कोई पावती आदि साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसी आधार पर जिला आयोग द्वारा अपने आदेश की कण्डिका—10 में यह निष्कर्ष उचित रूप से निकाला गया है कि उक्त दस्तावेज प्रतिअपीलार्थी क्रमांक—3 को दिया जाना प्रमाणित नहीं होता है। जिला आयोग द्वारा आदेश की कण्डिका—11 में यह निष्कर्ष भी उचित रूप से निकाला गया है कि टेग क्रमांक—65684 से सम्बन्धित भैंस की मृत्यु होना प्रमाणित नहीं होता है।

13— प्रकरण में यह भी स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन बीमित भैंसों की मृत्यु वर्ष 2006 से वर्ष 2007 के मध्य बताई गई है, किन्तु स्वयं अपीलार्थी/परिवादी द्वारा वर्ष 2010 तक

क्लेम न मिलने के बावजूद इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। जिला आयोग द्वारा अपने आदेश की कण्डिका–16 में भी यह निष्कर्ष भी उचित रूप से निकाला गया है कि वर्ष 2006–07 में हुई उक्त बीमित भैंसों की मृत्यु के सम्बन्ध में अपीलार्थी/परिवादी द्वारा प्रश्नाधीन परिवाद वर्ष 2011 में प्रस्तुत किया गया है, जो स्पष्ट रूप से समय–बाधित है।

14– उपर्युक्त विवेचना के प्रकाश में जिला आयोग द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत तथ्यों व साक्ष्यों की पूर्ण विवेचना उपरान्त विस्तृत रूप से आदेश पारित किया गया है, जो एक स्पीकिंग ऑर्डर है। अपीलार्थी/परिवादी यह सिद्ध करने में सफल नहीं रहा है कि जिला आयोग द्वारा पारित किए गए आदेश में कोई अवैधानिकता या अनियमितता है, तदनुसार प्रश्नाधीन अपील स्वीकार योग्य न होने के कारण अस्वीकार की जाकर जिला आयोग द्वारा पारित किया गया आदेश दिनांक 27/07/2015 स्थिर रखा जाता है।

15– उक्त अपील का व्यय उभयपक्ष स्वयं अपना–अपना वहन करेंगे।

(ए.के.तिवारी)
कार्यवाहक अध्यक्ष
म.प्र.राज्य उपभोक्ता विवाद
प्रतितोषण आयोग, भोपाल

(डॉ. श्रीकान्त पाण्डेय)
सदस्य
म.प्र.राज्य उपभोक्ता विवाद
प्रतितोषण आयोग, भोपाल

गजेन्द्र

प्रथम अपील क्रमांक : 922/2015

गिरीश पटेल

विरूद्ध

नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड,

विचारार्थ

(डॉ. श्रीकान्त पाण्डेय)
सदस्य

माननीय श्री ए.के.तिवारी : **कार्यवाहक अध्यक्ष**

(दिनांक 21/03/2024 को नियत)

(ए.के.तिवारी)
कार्यवाहक अध्यक्ष